संख्या-91/2021/2344ई-2/तेरह-2021-1417754

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 **लखनऊ,दिनांक:17 दिसम्बर, 2021**

विषयः- मेसर्स वेव इण्डस्ट्रीज प्रा. लि., डिस्टिलरी यूनिट, ग्राम-मेलेसिया, मुसल्लेपुर, तहसील-धनौरा, जनपद अमरोहा द्वारा 131 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता की शीरे पर आधारित औद्योगिक आसवनी स्थापित किए जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी15/दो-प्रा.डी.-227, दिनांक 26-07-2021 एवं पत्र संख्या- जी75/दो-प्रा.डी.-227, दिनांक 01-12-2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्रों में आप द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स वेव इण्डस्ट्रीज प्रा. लि., डिस्टिलरी यूनिट, ग्राम-मेलेसिया, मुसल्लेपुर, तहसील-धनौरा, जनपद अमरोहा द्वारा 131 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 458.5 लाख लीटर क्षमता की शीरे पर आधारित औद्योगिक आसवनी जिसके अन्तर्गत बाजार की मांग के अनुसार रेक्टिफाइड स्प्रिट/ई.एन.ए./ अब्सोल्यूट अल्कोहल एवं एस.डी.एस. का उत्पादन एवं विक्रय किया जायेगा, स्थापित किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथप्रदान की जाती है कि आसवनी द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा:-

---

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) इकाई द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से नियमानुसार इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा प्राप्त किया जायेगा।

(2) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्टेट लेवल इनवायरमेन्ट इम्पैक्ट असेस्मेन्ट अथॉरिटी, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 15-10-2020 को निर्गत इनवायरमेन्टल क्लीयरेन्स में उल्लिखित सामान्य व विशिष्ट शर्तों का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**